न्यूज़ टुडे

कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना एक नए पर्यावरणीय खतरे के रूप में उभर रहा है

यह जानकारी **रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन: सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट** में प्रकाशित एक नए अध्ययन से सामने आई है। इसमें **जम्मू-कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट क्षरण से संबंधित खतरों के प्रभावों का आकलन** किया गया है ।

- **पर्माफ्रॉस्ट** वह सतह होती है, जो लगातार **कम-से-कम दो वर्षों तक पूरी तरह से 32°F या 0°C या उससे कम तापमान पर जमी** रहती है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 64.8% भाग को पर्माफ्रॉस्ट कवर** किए हुए है।
  - इसमें से **26.7% भाग** सालों भर पर्माफ्रॉस्ट के रूप में रहने वाले क्षेत्र की श्रेणी में आता है।
  - **23.8% भाग** ऐसा पर्माफ्रास्ट क्षेत्र है, जहां आधे से ज्यादा जमीन जमी रहती है, लेकिन कुछ हिस्से गर्मियों में पिघल जाते हैं।
  - **14.3% भाग** ऐसा पर्माफ्रास्ट क्षेत्र है, जहां भूमि पूरी तरह से जमी हुई नहीं है, बल्कि कुछ-कुछ जगहों पर, या बीच-बीच में जमी हुई है।
- इसके तहत **332 प्रोग्लेशियल झीलों** की पहचान की गई है। इनमें से **65 में हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) का जोखिम बना हुआ है। उदाहरण के लिए- चमोली (2021) और साउथ लोनाक (2023) आपदाएं** पर्माफ्रॉस्ट क्षरण से जुड़ी हुई हैं।
  - **प्रोग्लेशियल झील** का निर्माण तब होता है, जब पिघलते ग्लेशियर का जल किसी गर्त या गड्ढे में एकत्र हो जाता है या तटबंध से बाधित हो जाता है।
- **अवसंरचना और सुरक्षा संबंधी जोखिम:** लद्दाख में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई सड़कें पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं।
- **जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन:** यह नदियों के प्रवाह और भूजल उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
- **पर्माफ्रॉस्ट क्षरण के कारण:**
  - सतह का बढ़ता तापमान मुख्य कारण है;
  - भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण पर्माफ्रॉस्ट को क्षति पहुंचती है;
  - वनों की कटाई, रियल एस्टेट, बांध, सड़कें जैसी मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

आगे की राह

- **एकीकृत योजना:** पर्माफ्रॉस्ट और क्रायोस्फीयर संबंधी डेटा को अवसंरचना एवं भूमि उपयोग संबंधी क्षेत्रीय योजना, जोखिम-संवेदनशील ज़ोनिंग विनियमन आदि में शामिल करना चाहिए।
- **बेहतर निगरानी करना:** सैटेलाइट-आधारित रिमोट सेंसिंग और ग्राउंड-आधारित LiDAR तकनीक का उपयोग करके पर्माफ्रॉस्ट क्षरण एवं संबंधित भू-आकृति विज्ञान संबंधी परिवर्तन पर नजर रखनी चाहिए।
- **व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):** पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) नियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। इससे पर्माफ्रॉस्ट पिघलने से होने वाले खतरों का सही आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा, इससे संबंधित खतरों में खासतौर पर GLOF, भूस्खलन और ढलानों की अस्थिरता जैसे जोखिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% इक्विलाइजेशन लेवी को खत्म करने की योजना बना रही है

वित्त अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित नए संशोधनों के अनुसार ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाली इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स **1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं** होगी/ होगा।

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा लागू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है। यह उन विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाई जाता है, **जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन वे भारत में डिजिटल लेन-देन से राजस्व अर्जित** कर रही हैं।
  - इसमें **विज्ञापन से होने वाली आय को भी शामिल** किया गया है, जिसका उद्देश्य **व्यवसाय-से-व्यवसाय लेन-देन** पर कर लगाना है।
- **वित्त अधिनियम, 2020** ने इस लेवी का दायरा **ई-कॉमर्स आपूर्ति और सेवाओं** तक बढ़ा दिया है।

लेवी को लागू करने के कारण

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।
- **कर अंतराल को समाप्त करना:** भारत में भौतिक रूप से उपस्थिति न होने के कारण **कंपनियों को कराधान से बचने** से रोकता है।
- **विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियां भारत की कर प्रणाली में योगदान दें।
- **राजस्व संग्रह को बढ़ाना:** यह डिजिटल लेन-देन में हुई वृद्धि से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी करने पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण ऐसे लेन-देनों में तीव्र वृद्धि हुई है।

इक्विलाइजेशन लेवी के अंतर्गत आने वाले लेन-देन

- **ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं:** विदेशी (नॉन-रेजिडेंट) कंपनियों को भुगतान किए गए प्रतिफल पर 6% की दर से इक्विलाइजेशन लेवी लगाई जाती है।
  - **डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र, ऑनलाइन विज्ञापन और संबंधित सुविधाओं एवं सेवाओं** पर लागू होती है।
- **वस्तुओं या सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति (1 अगस्त, 2024 को समाप्त): विदेशी (नॉन-रेजिडेंट) ई-कॉमर्स ऑपरेटरों** द्वारा अर्जित राजस्व पर **2% की दर** से लगाया जाता है।
- **शर्त:** चूंकि लेवी को आयकर अधिनियम के हिस्से के रूप में पेश नहीं किया गया था। इसलिए, भारत में इक्विलाइजेशन लेवी का भुगतान करने वाली वैश्विक कंपनियां दोहरे कराधान बचाव समझौतों के तहत अपने मूल देश में **टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं** कर सकती हैं।

संबंधित चिंताएं

- **अमेरिका के साथ व्यापार में तनाव:** फॉरेन ट्रेड बैरियर रिपोर्ट में इक्विलाइजेशन लेवी को विदेशी व्यापार में बाधा के रूप में वर्णित किया गया है।
- **प्रतिशोधात्मक शुल्क (Retaliatory Tariffs) का जोखिम:** अन्य देश जवाबी उपाय लागू कर सकते हैं। इससे विदेशों में काम करने वाली भारतीय कंपनियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी।
- **दोहरा कराधान और अनुपालन बोझ:** विदेशी कंपनियों को दोहरे कराधान का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने तारा बनने की प्रक्रिया की छवियां ली

ये छवियां **नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** ने जारी की हैं। छवियों में एक **तारे से गैस और धूल का गुबार निकलता हुआ दिखाया** गया है। यह तारा पृथ्वी से **625 प्रकाश वर्ष दूर** स्थित है और हमारी **आकाशगंगा (मिल्की वे) के सबसे नजदीकी तारा-निर्माण क्षेत्रों में से एक** में अवस्थित है।

- JWST एक **उन्नत अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला** है। इसे 2021 में विशेष रूप से **इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का अध्ययन** करने के लिए लॉन्च किया गया था। ध्यातव्य है कि **JWST को हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद उसकी जगह लेने के लिए विकसित** किया गया है।

एक तारे का जीवन चक्र

- **नेबुला (निहारिका) (जन्म):** एक तारा बनने की प्रक्रिया **नेबुला (गैस और धूल का विशाल बादल)** से शुरू होती है। यह बादल मुख्य रूप से **हाइड्रोजन और हीलियम** गैस से बना होता है।
  - **प्रोटोस्टार:** जब गुरुत्वाकर्षण बल इस नेबुला को अंदर की ओर संकुचित करता है, तो यह गर्म होने लगता है और घूर्णन करते हुए एक **प्रोटोस्टेलर डिस्क** निर्मित करता है।
- **मुख्य अनुक्रम:** यह **तारे का सबसे लंबा चरण** होता है। इस दौरान तारे के केंद्र में **हाइड्रोजन लगातार हीलियम में संलयित** होती रहती है।
  - हमारे **सूर्य ने अभी इसी चरण के लगभग आधे समय को पूरा** कर लिया है।
- **लाल दानव या सुपरजाइंट बनने का चरण:** जब तारे के केंद्र में **हाइड्रोजन खत्म** हो जाती है, तो यह अपने द्रव्यमान के आधार पर अलग-अलग रूप में विकसित होता है।
  - **कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारे (जैसे, सूर्य):** इनका केंद्र सिकुड़ जाता है और बाहरी परतें फैल जाती हैं। इस प्रकार तारा **लाल दानव** बन जाता है।
  - **विशालकाय तारे:** ये तारे फैलकर **सुपरजाइंट** बन जाते हैं और क्रमिक चरणों में **भारी तत्वों** (जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन आदि) का संलयन करते हैं।
- **अंतिम चरण**
  - **कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारे:** इसमें तारे की बाहरी परतें प्लेनेटरी नेबुला के रूप में बाहर निकलती हैं और इसका कोर एक सघन व गैर-संलयनकारी **श्वेत वामन तारे** के रूप में बदल जाता है।
    - यदि इसका द्रव्यमान **चंद्रशेखर सीमा (1.4 सौर द्रव्यमान) से कम** रहता है, तो यह स्थिर बना रहता है।
  - **उच्च द्रव्यमान वाले तारे (10 या अधिक सौर द्रव्यमान):** जब तारे के कोर में **आयरन** का जमाव होता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर ढह जाता है, जिससे **सुपरनोवा** नामक एक महाविस्फोट होता है।
    - विस्फोट के बाद यदि बचे हुए कोर का द्रव्यमान **1.4 से 3 सौर द्रव्यमान** के बीच रह जाता है, तो यह एक **अत्यंत सघन न्यूट्रॉन स्टार** बन जाता है।
    - विस्फोट के बाद यदि बचे हुए कोर का **द्रव्यमान लगभग 3 सौर द्रव्यमान** से अधिक रहता है, तो यह एक **ब्लैक होल** के रूप में बदल जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता।

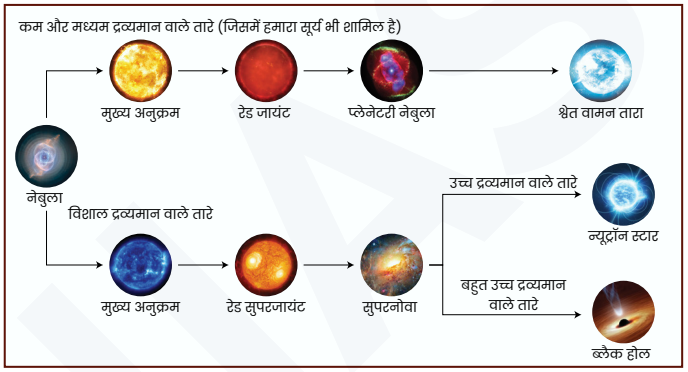

संयुक्त राष्ट्र-खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार विश्व का आधे से अधिक फसल उत्पादन मात्र 9 फसलों पर निर्भर है

UN-FAO द्वारा जारी **"खाद्य और कृषि के लिए विश्व पादप आनुवंशिक संसाधन स्थिति" पर तीसरी रिपोर्ट** के अनुसार वैश्विक फसल उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा केवल **9 फसलों** पर निर्भर है। ये फसलें हैं- **गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, आलू, सोयाबीन, ऑयल पाम, चुकंदर (शुगर बीट) और कसावा।**

फसल विविधता पर रिपोर्ट के अन्य मुख्य बिंदु

- **पादप विविधता में कमी:** प्रजाति और किस्म के स्तर पर फसल विविधता की जगह अब कृषि बाजार में एकल फसल का प्रसार बढ़ रहा है।
  - **उच्च इनपुट उत्पादन, औद्योगिक प्रसंस्करण और सख्त बाजार मानकों** को पूरा करने हेतु फसल किस्मों को विकसित किया जाता है। इन सबका उद्देश्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देना है।
- **किसानों की पारंपरिक फसल किस्मों और स्थानीय प्रजातियों (FV/LR) का नुकसान:**
  - रिपोर्ट के अनुसार **दक्षिणी अफ्रीका में फसल जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा** है। इसके बाद **कैरेबियाई और पश्चिमी एशिया** का स्थान है।
  - **दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड** में पादप आनुवंशिक विविधता को सबसे **कम नुकसान** पहुंचा है।
- **पादप विविधता का खेत में ही संरक्षण:**
  - भारत के **पांच कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रों में 50% से अधिक पारंपरिक पादप प्रजातियों (FV/LR) को संकटग्रस्त** माना गया है, जिन्हें **तत्काल संरक्षण की आवश्यकता** है।
- **पादप आनुवंशिक विविधता के बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex-Situ Conservation) के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं:**
  - वित्तीय सहायता निरंतर प्राप्त नहीं होना,
  - प्रशिक्षित कर्मियों एवं राजनीतिक समर्थन की कमी, तथा
  - मजबूत अवसंरचनाओं की कमी।

फसल/ पादप विविधता बढ़ाने हेतु सिफारिशें:

- **बीज नीति:** विविध फसल प्रणाली का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय बीज नीतियां बनानी चाहिए।
- **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक से वित्तीय सहायता बढ़ाना:** खाद्य और कृषि के लिए पादपों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु अधिक निवेश की जरुरत है।
- **डेटा साझाकरण और मानकीकरण में सुधार:** अनुसंधान दक्षता बढ़ाने के लिए डेटा आदान-प्रदान बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:** फसलों की उन्नत ब्रीडिंग हेतु आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

फसल विविधता संरक्षण के लिए किए गए प्रयास:

- **वैश्विक स्तर पर प्रयास:**
  - **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट: नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन द्वीप** पर स्थित यह फैसिलिटी विश्व की फसल विविधता का सुरक्षित भंडारण केंद्र है।
  - **लायप्ज़िग घोषणा (Leipzig Declaration):** यह खाद्य और कृषि उद्देश्यों के लिए **पादप आनुवंशिक संसाधनों (PGR) के संरक्षण** हेतु वैश्विक प्रतिबद्धता है।
- **भारत में प्रयास:**
  - **सीड बैंक योजना:** देश में उत्पादित प्रमाणित बीजों को बफर स्टॉक के रूप में संरक्षित किया जाता है।
  - **राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR):** यह भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु नोडल संगठन है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की आंतरिक जांच शुरू की

यह आंतरिक जांच **तीन सदस्यीय समिति** द्वारा की जाएगी। इस समिति में **पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश** तथा कर्नाटक हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश शामिल होगा।

न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रिया के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति **सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्जी (1995)** मामले के दौरान हुई थी। इसे न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए कानून में कमी को देखते हुए **सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू** किया गया था। इसे ऐसे मामलों में लागू किया जाता है, जो **बहुत गंभीर प्रकृति के नहीं होते यानी ऐसे मामले नहीं होते जिनसे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट (अनुच्छेद 217) के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया** जा सके। ये ऐसे मामले होते हैं, जो **न्यायिक पद के मानकों के साथ असंगत** होते हैं।
  - वर्ष 2014 में, **अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश 'एक्स' बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (2014)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात-चरणीय **"आंतरिक जांच प्रक्रिया"** निर्धारित की थी।
- **प्रक्रिया**
  - **शुरुआत:** शिकायत **हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या राष्ट्रपति** के पास दर्ज की जा सकती है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति शिकायत को CJI के पास भेजते हैं।
  - **प्रारंभिक समीक्षा:** यदि आरोप विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो **CJI संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रारंभिक रिपोर्ट मांग** सकता है।
  - **आगे की जांच:**
    - यदि **हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आगे की जांच की सिफारिश** करता है, तो **CJI तीन सदस्यीय जांच समिति** का गठन करता है। समिति में अन्य हाई कोर्ट्स से **दो मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
      - » समिति **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत** (जैसे- आरोपी न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देना) का पालन करते हुए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकती है।
  - **परिणाम:**
    - समिति **CJI के साथ-साथ आरोपी न्यायाधीश को भी अपनी रिपोर्ट** सौंपती है। यदि समिति आरोपों को गंभीर मानती है, तो **CJI आरोपी न्यायाधीश को त्याग-पत्र देने या सेवानिवृत्त होने की सलाह देंगे।**
      - » यदि आरोपी न्यायाधीश ऐसा करने से इनकार करता है, तो **CJI हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आरोपी न्यायाधीश को न्यायिक कार्य नहीं करने देने** का निर्देश देगा। साथ ही, **राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही** शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों को पद से हटाने की कार्यवाही

- **अनुच्छेद 124(4):** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 217:** यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान करता है।
- **आधार:** सिद्ध कदाचार और अक्षमता। हालांकि, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
- **प्रक्रिया:** यह **न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968)** द्वारा विनियमित है।

राज्य सभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

इस विधेयक में आपदाओं से निपटने में प्रतिक्रियात्मक पद्धति की जगह **अग्र-सक्रिय (Proactive) के साथ-साथ नवाचारी और भागीदारी आधारित तरीका अपनाने पर बल** दिया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) के पास **आपदा-प्रबंधन योजनाएं बनाने** की जिम्मेदारी होगी।
- **NDMA और SDMAs के कार्य:** इन्हें कई **नई जिम्मेदारियां** सौंपी गई हैं। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - आपदा जोखिमों (जैसे-चरम जलवायु घटनाओं) की समय-समय पर समीक्षा करना,
  - न्यूनतम राहत मानकों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना,
  - राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाना आदि।
- **NDMA में नियुक्तियां:** NDMA को अपने स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** यह विधेयक राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक **अलग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार** प्रदान करता है।
- **राज्य आपदा मोचन बल (SDRF):** यह विधेयक राज्य सरकारों को SDRF स्थापित करने, इसके कार्यों को निर्धारित करने और इसके सदस्यों के लिए सेवा शर्तें तय करने का अधिकार देता है।
- **मौजूदा आपदा-प्रबंधन समितियों को वैधानिक दर्जा:** विधेयक में **राष्ट्रीय संकट-प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC)** जैसी मौजूदा संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
  - NCMC: यह राष्ट्रीय स्तर पर **गंभीर प्रकृति की विपदाओं से निपटने के लिए नोडल संस्था** के रूप में कार्य करेगी।
  - HLC: यह आपदाओं के दौरान **राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता** प्रदान करेगी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बारे में

- यह अधिनियम **आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क** निर्धारित करता है।
- **संस्थागत फ्रेमवर्क:** इस अधिनियम में NDMA, SDMAs और **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMAs)** की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन संस्थाओं को अपने-अपने स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी और उससे होने वाले जोखिम को कम करने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
- **वित्त-पोषण व्यवस्था:** इस कानून में **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF), राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF), राष्ट्रीय आपदा-शमन कोष तथा राज्य एवं जिला स्तरीय कोषों** की स्थापना संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

वित्त विधेयक

हाल ही में, **लोक सभा ने वित्त विधेयक, 2025** पारित किया।

वित्त विधेयक के बारे में

- संविधान वित्तीय विधान को **दो श्रेणियों में विभाजित** करता है, अर्थात् **धन विधेयक (अनुच्छेद 110) और वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117)।**
- **वित्त विधेयक की दो श्रेणियां:**
  - **अनुच्छेद 117(1):** इसमें कुछ विषय **धन विधेयक से जुड़े** होते हैं, लेकिन यह **केवल धन विधेयक से संबंधित विषयों तक ही सीमित नहीं होता है;**
    - इसे **केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत** किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए **राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य** होती है।
  - **अनुच्छेद 117(3):** इसमें वे कानून शामिल होते हैं, जिनके अधिनियमित होने और लागू होने पर **भारत की संचित निधि से व्यय** करना पड़ेगा।
    - इसे **किसी भी सदन में प्रस्तुत** किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए **राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य नहीं** होती है।
    - इसे **किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति** संबंधित सदन से इस पर विचार करने की सिफारिश न कर दे।
- **राज्य सभा** इन विधेयकों को **सामान्य विधेयकों की तरह अस्वीकार या संशोधित** कर सकती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

RRBs ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 7,571 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। साथ ही, **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR), जमा राशि, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPAs), ऋण-जमा अनुपात** जैसे प्रमुख वित्तीय संकेतकों में भी लगातार सुधार हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बारे में

- **उत्पत्ति: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी। **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत इन्हें और मजबूत किया गया था।
- **स्वामित्व:** इनका **संयुक्त स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों के पास क्रमशः 50:15:35 के अनुपात** में है।
- **विनियमन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में **कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक गतिविधियों** का विकास करना।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण:** इसे संशोधित करके 2016 में RBI द्वारा निर्धारित उप-लक्ष्यों के अंतर्गत **कुल ऋण का 75%** किया गया है।

सेफ हार्बर नियम

हाल ही में **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने आयकर नियमों में संशोधन करते हुए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा **200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये** कर दी है।

सेफ हार्बर नियम के बारे में:

- यह भारत के **ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रेमवर्क** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीकी रूप से, **"सेफ हार्बर"** उन परिस्थितियों को दर्शाता है, जहां **कर प्राधिकरण, करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस (स्वतंत्र बाजार मूल्य)** मानकर स्वीकार करता है। यह आमतौर पर **कार, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के आयात** के दौरान करदाताओं एवं व्यवसायों को लाभ पहुंचाता है।
- सेफ हार्बर नियम **कर निश्चितता** प्रदान करते हैं। इससे व्यवसाय बिना किसी कर विवाद के **अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित** कर सकते हैं।
- **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92CB** के तहत आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए सेफ हार्बर नियम परिभाषित किए गए हैं।
  - **ट्रांसफर प्राइस:** यह वह मूल्य है, जिस पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन-देन होता है।
  - **आर्म्स लेंथ प्राइस:** वह मूल्य है, जो स्वतंत्र और असंबंधित पक्षों के बीच खुले बाजार की शर्तों के तहत सहमति से तय किया जाता है।

भीम 3.0

हाल ही में, **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) 3.0** लॉन्च किया।

भीम 3.0 की मुख्य विशेषताएं

- **कई भाषा में उपलब्ध:** यह अब **15+ भारतीय भाषाओं** में उपलब्ध है।
- इसके तहत आसानी से **खर्चों को ट्रैक, प्रबंधित और स्प्लिट** किया जा सकता है।
- **अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित:** यह अस्थिर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी निर्बाध लेन-देन सुनिश्चित करता है।
- **बिल्ट-इन टास्क असिस्टेंट:** उपयोगकर्ताओं को लंबित बिलों, UPI लाइट एक्टिवेशन और कम बैलेंस के बारे में अलर्ट करता है।
- **भीम वेगा:** यह एक **इन-ऐप पेमेंट सॉल्यूशन** है, जो ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ सीधे एकीकृत हो जाता है। इससे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ इंटरऑपरेबिलिटी संभव हो जाती है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

सरकार ने **स्वर्ण मौद्रीकरण योजना (GMS) के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD)** घटकों को 26 मार्च, 2025 से बंद करने का फैसला किया है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के बारे में

- **शुरुआत:** 2015 में।
- **उद्देश्य:** स्वर्ण आयात कम करना तथा घरेलू एवं संस्थागत स्वर्ण को उत्पादक कार्यों में लगाना।
- **कार्यान्वयनकर्ता:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।
- **योजना के अंतर्गत श्रेणियां:**
  - **अल्पावधि बैंक जमा (STBD):** 1-3 वर्ष (बैंकों द्वारा प्रबंधित)।
  - **मध्यम अवधि सरकारी जमा (MTGD):** 5-7 वर्ष।
  - **दीर्घकालिक सरकारी जमा (LTGD):** 12-15 वर्ष।
- मौजूदा मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा के तहत निक्षेप, RBI की वर्तमान गाइडलाइंस के अनुसार **परिपक्वता** अवधि तक जारी रहेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभागीय स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत अपर्याप्त खर्च को लेकर चिंता जताई।

प्रदूषण नियंत्रण योजना के बारे में

- **प्रशासित:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **प्रारम्भ:** 2018 से।
- **उद्देश्य:** देश भर में **वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण स्तर** की निगरानी करना। इसके अलावा, **वायु प्रदूषण शमन** के लिए उचित कदम उठाना।
- **योजना के घटक:**
  - कमजोर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को प्रदूषण निवारण हेतु सहायता प्रदान करना;
  - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP);
  - पर्यावरण निगरानी नेटवर्क कार्यक्रम; तथा
  - अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व सरकार ने एक दशक पहले **राजगीर की तलहटी में बसे नालंदा विश्वविद्यालय** को पुनर्जीवित किया था।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में

- **स्थापना:** इसका निर्माण **पाल शासक धर्मपाल (8वीं-9वीं शताब्दी ई.)** ने कराया था। यह नालंदा के साथ-साथ विकसित हुआ था।
  - धर्मपाल ने ही **आधुनिक बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार** की स्थापना की थी।
- विक्रमशिला विश्वविद्यालय में **वज्रयान/ तंत्रयान बौद्ध धर्म, गुप्त विद्या (Occult studies) और धर्मशास्त्र** आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था।
- **तिब्बत** से कई विद्वान यहां अध्ययन के लिए आते थे। कई पांडुलिपियों की **संस्कृत में रचना की गई थी** और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया था।
- **पाल साम्राज्य** के बौद्ध विद्वान **आतिश दीपांकर (980-1054 ई.)** विक्रमशिला विश्वविद्यालय के **अध्यक्ष** थे।
- 12वीं शताब्दी के अंत में **कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी** ने इसे नष्ट कर दिया था।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

तुर्किये (राजधानी: अंकारा)

राष्ट्रपति एर्दोगन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की गिरफ्तारी से **तुर्किये में प्रदर्शनकारी उग्र हुए**।

तुर्किये के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** इसका कुछ हिस्सा **एशिया** और कुछ हिस्सा **यूरोप** में स्थित है।
  - **सीमाएं:** इसके उत्तर-पूर्व में **जॉर्जिया एवं आर्मेनिया**, उत्तर-पश्चिम में **ग्रीस व बुल्गारिया**, पूर्व में **अजरबैजान और ईरान**, तथा दक्षिण-पूर्व में **इराक एवं सीरिया** स्थित हैं।
  - यह उत्तर में **काला सागर** तथा दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में **भूमध्य सागर एवं एजियन सागर** से घिरा हुआ है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **प्रमुख नदियां:** यूफ्रेट्स, टिगरिस, कीज़िलिरमक आदि।
  - **सबसे ऊंचा स्थान:** माउंट अरारत।
  - **महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य:** बोस्फोरस जलडमरूमध्य और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य।
    - **मरमारा सागर:** यह एक **अंतर्देशीय** सागर है। यह **बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य** के माध्यम से **काला सागर व एजियन सागर** को जोड़ता है।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची